सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1885 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

अनिता पत्नि राजेन्द्र जाति कंजर निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

वादी

बनाम

1. शौकिन पुत्र रामचन्द्र जाति कंजर निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–28.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में पेश हुई। वादी / प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 1007 में दर्ज खसरा नम्बर 1813 रकबा 0.50 है. किस्म बारानी प्रथम का जर्ये नामान्तकरण स. 2403दिनांक 7.9.2015 से वादीया के नाम दर्ज है। उक्त वाद वादग्रस्त आराजीयात वादीयां एंव प्रतिवादी स. 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे वादिया का 1 / 4हिस्सा एंव प्रतिवादी स. 1 का 3 / 4 हिस्सा है। हिस्से अनुसार वादिया व प्रतिवादीस स. 1 कब्जे काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी स. 1 बदनियत से दिनांक 23.11.17 को वादिया के 1 / 4 हिस्से खातेदारी की आराजीयात में बाधा उत्पन्न एव उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है । वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा मौके पर किया जाकर वादिया को 1 / 4 हिस्सा अलग से संभलवावें। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में बंटवारा कर वादिया को 1 / 4 व प्रतिवादी स. 1 को 3 / 4 हिस्सा रिकॉर्ड राजस्व नक्शा में तरमीम किया जाकर संभलायी जावें एंव प्रतिवादी स. 1 को वादग्रस्त आराजीयात में कोई कब्जे काश्त स्वामित्व ,आधिपत्य एंव उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें एंव साथ ही अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित या बेचान इत्यादि का कार्य न करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा विभाजन तक पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया।

हमने दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 1007 में दर्ज खसरा नम्बर 1813 रकबा 0.50 है. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी